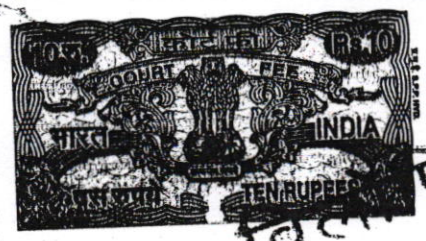

कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA 20रु. Rs.20 बीस रुपये TWENTY RUPEES

कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA 10रु. Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES

(33)

न्यायालय श्रीमान् समक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर, संभाग ग्वालियर(म.प्र.)

निग0प्र0क्र. I/निगरानी/छतरपुर/भू.रा/2018/0867 सन्

1. बुन्देली विकास संस्थान बसारी, द्वारा सविच पर्वत सिंह तनय रघुनाथ सिंह निवासी बसारी तहसील राजनगर जिला छतरपुर म.प्र.
2. महराज चम्पतराम शिक्षा एवं उत्थान परिषद खजुराहों सचिव द्वारा लखन लाल दुबे निवासी राजमहल परिसर छतरपुर जिला छतरपुर (म.प्र.)..........निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. दसैया पिता बोरा बसोर वगैरह निवासी ग्राम बसारी तहसील राजनगर जिला छतरपुर म.प्र.
..........गैर निगरानीकर्तागण

द्वारा आज दि0 21-1-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 21-2-18 नियत।

रीडर राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोद राजनगर जिला छतरपुर के प्र.क्रं. 46/अपील/2003–2004 में पारित आदेश दिनांक 17.02.2004 से दुखी होकर

2/2/18

महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता/आवेदक सादर निगरानी आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है –

1. **निगरानी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि –** भूमि खसरा नं. 172/2, 216/2, 210/2,211/2,216/4, 172/1, 173/2 कुल किता 07 ग्राम बसारी तहसील राजनगर जिला छतरपुर (म.प्र.) की भूमि है। उक्त विवादित भूमि बुन्देली विकास संस्थान बसारी के अधिपत्य एवं कब्जे की भूमि है , वर्तमान में उपरोक्त भूमि पर निगरानीकर्ता संस्था का ही कब्जा है। अन्य किसी का नही है। वर्षो से संस्थान के आधिपत्य एवं कब्जे में है। अधीनस्थ न्यायालय में गैर निगरानीकर्ता ने उक्त भूमि खसरा नं. की अपील अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के यहाँ सरपंच ग्राम पंचायत बसारी के प्रस्ताव क्र. 05 दिनांक 22.06.2000 के विरूद्ध प्रस्तुत की थी। उक्त अपील अपीलार्थी/गैरनिगरानीकर्ता ने दिनांक 03.02.04 को अनुविभागीय अधिकारी

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरा./छतरपुर/भू.रा./2018/867 **जिला** - छतरपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21/02/2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता एवं अवधि विधान की धारा-5 के बिन्दु पर सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 17.02.04 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 21.02.2018 को प्रस्तुत की गई है, जो अवधि वाह्य है। विलंब के संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा कोई ठोस एवं समाधानकारक कारण नहीं बताया गया है। आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत बसारी के प्रस्ताव क्रमांक 5 दिनांक 22.06.2000 नियम विरुद्ध एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया गया है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नही है। परिणामत: यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	